

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

नि०/रोजगार ऋण-03-58/2022 संख्या:-----

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-24.06.2022 से 29.06.2022 को चयनित वृहद ऋण क्र०सं० 01 से प्रमण्डलीय प्रभारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वैशाली द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निस्पादित कराकर ऋण स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यलय को भेजा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वैशाली की अनुशंसा के आधार पर कुल 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं.	आई० डी० न०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imboss Charge	Net Payable Amount
1.	8	65	MD SIKANDAR, S/o- MD YUNUSH, Vill.-KAILA KALA, Block-CHEHRAKALA, PS-GORAULA, PO-SALEMPUR DUMARIYA, Distt.-VAISHALI -844122, Mob:- 9955677699	A/c No.:- 11628102760, SBIN0008135	ELECTRONIC	260000	1300 + 2030 = 3330	256670
TOTAL						2,60,000	3,330	2,56,670

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापक: नि०/रोजगार ऋण-03-58/22 544

दिनांक: 15-03-2024

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, वैशाली सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ऋण शाखा/
ऋण शाखा/ (कम्प्यूटर सेल) / लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर
को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

15.03.24

सहायक निदेशक